(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 29 / 2021 **जीसीएमएस नम्बर :– 2021 / 83**

1. सतवीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह उम्र 55 साल जाति राजपूत निवासी नुहनिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

......................वादी

बनाम

1. जावित्री पत्नी कल्याण सिंह
2. विजय सिंह
3. सुन्दर सिंह पुत्रान बहादुर सिंह
4. विनोद बाई
5. सुशिला बाई पुत्रीयान बहादुर सिंह
6. उम्मेद कंवर पत्नी बहादुर सिंह
7. सन्तरा पत्नी मातु सिंह
8. सज्जन सिंह पुत्र मातु सिंह
9. राजबाला
10. रोशनी पुत्रीयान मातु सिंह
11. शकुन्तला पत्नी इन्द्र सिंह नवीरा मातु सिंह
12. रवि कुमार पुत्र इन्द्र सिंह नवीरा मातु सिंह
13. रिना पुत्रही इन्द्र सिंह नवीरा मातु सिंह
14. रेखा पुत्री इन्द्र सिंह नवीरा मातु सिंह
15. सन्तरा देवी पत्नी अमर सिंह
16. विक्रम सिंह पुत्र अमर सिंह
17. बजरंग सिंह पुत्र अमर सिंह
18. मनोज पुत्री अमर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी नुहनिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
20. उप पंजियक महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:17 IST
Reason: SelfAttested

......................प्रतिवादीगण

दावा बाबत:– खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

-निर्णय- दिनांक- 2/12/2025

(1) वादी का वादपत्र रहा कि-

1. यह कि वाके ग्राम नुहनिया स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 के खाता स0 6 के ख0 न0 68/2 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, ख0 न0 60 रकबा 7 बिघा 12 बिस्वा ख0 न0 78 रकबा 11 बिघा 8 बिस्वा ख0 न0 117 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 30 बिघा 7 बिस्वा भूमि के रिकार्डेड खातेदार कारतकार वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज कल्याण सिंह, मातु सिंह, मुंशी सिंह पुत्रान शुर सिंह दर्ज रिकार्ड खातेदार कास्तकार है उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा कल्याण सिंह, 1/3 हिस्सा मातु सिंह, 1/3 हिस्सा मुंशी सिंह रिकार्ड खातेदार कास्तकार है।
2. यह कि वाद पत्रके खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैत्रक भूमि है जिस पर कल्याण सिंह, मातु सिंह व मुंशी सिंह को उनके पिता शूर सिंह से उन्हे विरास्त में प्राप्त हुई है वादी व प्रतिवादीगण की वंशावली निम्नप्रकार से है-
इस प्रकार गत खातेदार कल्याण सिंह, मातु सिंह, मोहन सिंह वाद पत्र के खण्ड स0 1 मे वर्णित भूमि में 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि के रिकार्डेड खातेदार कास्तकार है खातेदार मोहन सिंह के एक ही वारिस वादी है जिसके हिस्से में 1/3 भाग भूमि आती है गत खातेदार कल्याण सिंह के हिस्से में वंशावली के अनुसार प्रति0 स0 1 के 1/6 हिस्से का व प्रति0 स0 2 ल0 6 का 1/6 भाग भूमि हिस्से में आती है तथागत खतोदार मातु सिंह के हिस्से में 1/3 भाग भूमि आती है जिसके अनुसार प्रति0 स0 7, 8, 9, 10 के पत्येक के हिस्से में 1/18,1/18, 1/18, 1/18 भाग भूमि आती है तथा प्रति0 स0 11 ल0 14 के हिस्से में 1/18 भाग भूमि व प्रति0 स0 15 ल0 18 के हिस्से मे 1/18 भाग भूमि आती है।
3. यह कि वाके ग्राम नुहनिया स्थित भूमि गत ख0 न0 60, 68/2, 78 व 117 के हाल ख0 न0 141, 143, 145, 156, 171, 172, 173 व 215 निर्मित हुए है।
4. यह कि वाके ग्राम नुहनिया स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 102 के ख0 न0 141 रकबा 0.68 है0 ख0 न0 143 रकबा 0.62 है0 ख0 न0 145 रकबा 0.70 है0 ख0 न0 156 रकबा 2.50 है0 ख0 न0 171 रकबा 0.98 है0 ख0 न0 172 रकबा 0.86 है0 ख0 न0 173 रकबा 1.04 है0 ख0 न0 215 रकबा 0.39 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.77 है0 भूमि [illegible] खातेदार कास्तकार दर्ज कर दिया है जबकि उक्त भूमि में वादी वाद प[illegible] स0 1 व 2 के अनुसार 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार का[illegible] हिस्से की भूमि पर कब्जे कास्त भी है वादी के 1/3 हिस्से [illegible] स0 7 ल0 18 के नाम से दर्ज रिकार्ड हो गई है। जबकि उक्त भूमि मे प्रति[illegible] स0 7 ल0 10 का प्रत्येक का 1/18

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

हिस्सा प्रति0 स0 11 ल0 14 का 1/18 हिस्सा व प्रति0 स0 15 ल0 18 का 1/18 भाग भूमि ही हिस्से में आती है।

5. यह कि गत सप्ताह वादी ने अपनी खातेदारी भूमि पर लोन लेने के लिए नकल प्राप्त की तथा पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तब उसे पता चला कि वादी के हिस्से में 1/3 के बजाय 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया। जो कि गलत है जिसको दुरूसत करवाने के लिए वादी ने प्रति0 स0 7 ल0 18 से सम्पर्क किया तो प्रति0 स0 7 ल0 18 के मन में बेईमानी आ गई तो उन्होने दुरूस्त करवाने से इन्कार कर दिया तथा वादी से लड़ाई झगड़ा करने लग गये तथा वादी को धमकी दी कि हम उसके हिस्से को बेचान करेगे। अगर प्रति0 स0 7 ल0 18 अगर अपने मनसुबों में कामयबा हो जाते है तो वादी को भारी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नही किया जा सकता है।

6. यह कि वादी अपना रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए पटवारी हल्का से मिला तो उन्होने श्रीमानजी के समक्ष दावा पेश करने के लिए कहा। जिसके निर्देशानुसार वादी ने यह वाद पत्र श्रीमान जी की सेवा में पेश किया जो सावधि है।

7. यह कि प्रति0 स0 7 ल0 18 को जब पता चला कि वादी की भूमि हमारे नाम से दर्ज है तब उन्होने वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया तथा वादी की भूमि को बेचान करने के अवसर की तलाश में है इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जब तक दावे का विधिवत तरिके से निपटारा नही हो जाता है तब तक प्रति स0 7 ल0 18 वाद पत्र के खण्ड स0 4 में वर्णित भूमि का रहन, दान, बेचान निर्माण आदि न करे व न ही वादी के कब्जे कास्त में दखलंदाजी करे। इसलिए वादी को यह वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है

8. यह कि उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के बीच में कभी भी कोई विवाद पैदा ना हो जिसके लिए वादी ने उक्त वाद पत्र में कब्जे कास्त के अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहात है तथा अपने 1/6 हिस्से के बजाय 1/3 हिस्सा भूमि का रिकार्ड को दुरूस्त करवाना चाहता है जो कि सावधि है।

9. यह कि विवादीत भूमि वाके ग्राम नुहनिया तहसील बुहाना में स्थित होने के कारण सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त हैं

10. यह कि वादी ने प्रति0 स0 19 व 20 को उक्त वाद पत्र में पक्षकार बनाया है क्योकि प्रति0 स0 19 भूमिधारक है जो आवश्यक पक्षकार है तथा प्रति0 स0 20 उपपंजियक है जो कि आवश्यक पक्षकार है इसलिए वादी ने उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया है व खातेदार इन्द्र सिंह पुत्र मातु सिंह फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान प्रति0 स0 11 ल0 14 है जो आवश्यक पक्षकार है इसलिए वादी ने उन्हे पक्षकार बनाया है।

11. यह कि वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश [illegible]

12. यह कि वाद पत्र सम्पूर्ण रिकार्ड [illegible] वादी का शपथ पत्र भी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः–

(क). कि वाके ग्राम नुहनिया स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 102 के ख0 न0 141 रकबा 0.68 है0 ख0 न0 143 रकबा 0.62 है0 ख0 न0 145 रकबा 0.70 है0 ख0 न0 156 रकबा 2.50 है0 ख0 न0 171 रकबा 0.98 है0 ख0 न0 172 रकबा 0.86 है0 ख0 न0 173 रकबा 1.04 है0 ख0 न0 215 रकबा 0.39 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.77 है0 भूमि में वादी को 1/6 हिस्से के बजाय 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित कर मौके व रिकार्ड के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे।

(ख). कि वाके ग्राम नुहनिया स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 102 के ख0 न0 141 रकबा 0.68 है0 ख0 न0 143 रकबा 0.62 है0 ख0 न0 145 रकबा 0.70 है0 ख0 न0 156 रकबा 2.50 है0 ख0 न0 171 रकबा 0.98 है0 ख0 न0 172 रकबा 0.86 है0 ख0 न0 173 रकबा 1.04 है0 ख0 न0 215 रकबा 0.39 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.77 है0 भूमि में प्रति0 स0 7 ल0 18 को पाबंद किया जावे कि जब तक दावे का विधिवत तरिके से निपटारा नही हो जाता है तब तक उक्त भूमि का रहन, दान, बेचान व निर्माण आदि न करे पैसा ना स्व्यं करे तथा ना ही अपने परिचितो, मित्रों आदि से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। तथा प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 21.05.2025 को लाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। अतः न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.05.2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 383 दिनांक 03.06.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2709 दिनांक 28.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:17 IST
Reason: SelfAttested

बहस के अनुसार ,शपथ [illegible] प्रति से प्राप्त कुर्रे पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेख व दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का

उपखण्ड अधिकारी बुहाना।
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2075–2078 वाके ग्राम नूहनिया स्थित भूमि हाल खाता संख्या 102 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::आदेश::–

'' न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नुहनिया स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 102 के ख0 न0 141 रकबा 0.68 है0 ख0 न0 143 रकबा 0.62 है0 ख0 न0 145 रकबा 0.70 है0 ख0 न0 156 रकबा 2.50 है0 ख0 न0 171 रकबा 0.98 है0 ख0 न0 172 रकबा 0.86 है0 ख0 न0 173 रकबा 1.04 है0 ख0 न0 215 रकबा 0.39 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.77 हैक्टर भूमि में वादी को 1/6 हिस्से के बजाय 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित कर वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.) एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 2/12/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:17 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 29 / 2021 **जीसीएमएस नम्बर :– 2021 / 83**

सतवीर **बनाम** जावित्री आदि

दावा बाबत – खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

वादीगण की ओर से **श्री विकास कुमार एडवोकेट** की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **श्री पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नुहनिया स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 102 के ख0 न0 141 रकबा 0.68 है0 ख0 न0 143 रकबा 0.62 है0 ख0 न0 145 रकबा 0.70 है0 ख0 न0 156 रकबा 2.50 है0 ख0 न0 171 रकबा 0.98 है0 ख0 न0 172 रकबा 0.86 है0 ख0 न0 173 रकबा 1.04 है0 ख0 न0 215 रकबा 0.39 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.77 हैक्टर भूमि में वादी को 1 / 6 हिस्से के बजाय 1 / 3 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित कर वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 2/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:17 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना